भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5540
दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

देश में बाल विवाह

5540. **डॉ. कडियम काव्य:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में बाल विवाह के दर्ज मामलों की राज्यवार संख्या कितनी है;
(ख) बाल विवाह को रोकने तथा बाल विवाह के पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का विचार बाल विवाह की समस्या से निपटने के लिए कोई नई योजना या कार्यक्रम शुरू करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के बारे में जागरुकता बढ़ाने तथा इसके प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) 'बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएमए), 2006' के तहत पंजीकृत बाल विवाह के मामलों की संख्या का आंकड़ा संकलित और अपने प्रकाशन 'भारत में अपराध' में प्रकाशित करता है। उक्त रिपोर्ट वर्ष 2022 तक अपराध शीर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उपलब्ध है। एनसीआरबी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्ष 2020, 2021 और 2022 के दौरान 'बाल विवाह

निषेध अधिनियम, (पीसीएमए) के तहत दर्ज मामलों की संख्या क्रमशः 785, 1050 और 1002 है। वर्ष 2020, 2021 और 2022 के दौरान पीसीएमए के अंतर्गत पंजीकृत बाल विवाह का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ख) से (घ) : भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, बाल विवाह पर रोक सहित महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध की जांच और अभियोजन की ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है, वे ऐसे अपराधों से निपटने में सक्षम हैं।

सरकार ने बाल विवाह पर अंकुश लगाने तथा बाल विवाह से जुड़े लोगों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए 'बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006' (पीसीएमए) अधिनियमित किया है। बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएमए) की धारा 16 राज्य सरकार को पूरे राज्य अथवा उसके ऐसे भाग के लिए, जैसा निर्दिष्ट किया जाए, एक अधिकारी अथवा अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार देती है, जिन्हें 'बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ)' के रूप में जाना जाता है, जिनका क्षेत्राधिकार अधिसूचना में निर्दिष्ट क्षेत्र अथवा क्षेत्रों पर होगा। यह धारा सीएमपीओ द्वारा किए जाने वाले कार्यों को भी निर्दिष्ट करती है जिनमें ऐसी कार्रवाई करके बाल विवाह को रोकना, जिसे वे उचित समझें; अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी अभियोजन के लिए साक्ष्य एकत्र करना; व्यक्तियों अथवा स्थानीय निवासियों को बाल विवाह को बढ़ावा देने, सहायता करने, समर्थन करने अथवा अनुमति देने में संलिप्त न होने की सलाह देना; बाल विवाह के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना; तथा बाल विवाह के मुद्दे पर समुदाय को संवेदनशील बनाना शामिल है। ये सभी प्राधिकरण संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधीन कार्य करते हैं। इसलिए, इस अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन करने की जिम्मेदारी उनकी है।

केंद्र केन्द्र सरकार अपने स्तर पर जागरूकता अभियान, मीडिया अभियान और आउटरीच कार्यक्रम चलाती है और इस प्रथा के बुरे प्रभावों को उजागर करने के लिए समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह जारी करती है। मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीएमपीओ की संख्या बढ़ाने के लिए भी लिखा है क्योंकि स्थानीय स्तर पर वैधानिक अधिकारी की मौजूदगी से इस विषय पर और भी अधिक प्रभावी सार्वजनिक जुड़ाव होता है

और बाल विवाह की रोकथाम होती है। इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय व्यापक योजना 'मिशन शक्ति' के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) घटक को लागू करता है जिसमें लैंगिक समानता से संबंधित मामलों पर जागरूकता पैदा करना और बाल विवाह को हतोत्साहित करना एक महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) भी इस संबंध में समय-समय पर हितधारकों के साथ जागरूकता कार्यक्रम और परामर्श करता है। इसके साथ ही, भारत सरकार ने शॉर्ट कोड 1098 वाले चाइल्डलाइन की शुरुआत की है, जो संकटग्रस्त बच्चों के लिए एक 24X7X365 टेलीफोन आपातकालीन आउटरीच सेवा है। यह पुलिस, बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ), जिला बाल संरक्षण इकाइयों इत्यादि के समन्वय से बाल विवाह की रोकथाम सहित किसी भी प्रकार की सहायता के लिए उपयुक्त पहल के साथ प्रतिक्रिया करती है जिसकी किसी बच्चे को आवश्यकता होती है। चाइल्ड हेल्पलाइन को 24X7X365 आपातकालीन प्रतिक्रिया, संसाधन तथा सेवा उपलब्ध कराने के लिए 24x7 आपातकालीन और गैर-आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस-112) के साथ भी एकीकृत किया गया है।

केंद्र सरकार ने 27 नवंबर 2024 को 'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य देश को बाल विवाह मुक्त बनाना है। 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने के लिए 'संपूर्ण सरकार' और 'संपूर्ण समाज' के दृष्टिकोण के माध्यम से बालिकाओं और महिलाओं के बीच शिक्षा, कौशल, उद्यम और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना सबसे महत्वपूर्ण है। इस अभियान के तहत, बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और बाल विवाह की घटनाओं की प्रभावी रिपोर्टिंग एवं रोकथाम के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहासयता करने के लिए एक पोर्टल 'https://stopchildmarriage.wcd.gov.in' शुरू किया गया है। पोर्टल में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बाल विवाह निषेध अधिकारियों (सीएमपीओ) के बारे में नागरिकों को जानकारी प्रदान करने की सुविधा भी है।

*****

अनुलग्नक

'देश में बाल विवाह' के संबंध में डॉ. डॉ. कडियम काव्य द्वारा दिनांक 04.04.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5540 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2020, 2021 और 2022 के दौरान बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएमए), 2006 के तहत पंजीकृत बाल विवाह मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020	2021	2022
1	आंध्र प्रदेश	32	19	26
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3	असम	138	155	163
4	बिहार	5	11	13
5	छत्तीसगढ़	1	0	0
6	गोवा	0	0	0
7	गुजरात	15	12	9
8	हरियाणा	33	33	37
9	हिमाचल प्रदेश	5	5	4
10	झारखंड	3	4	5
11	कर्नाटक	184	273	215
12	केरल	8	12	6
13	मध्य प्रदेश	5	4	7
14	महाराष्ट्र	50	82	99
15	मणिपुर	0	2	1
16	मेघालय	0	0	0
17	मिजोरम	0	0	0
18	नागालैंड	0	0	0
19	ओडिशा	24	64	46
20	पंजाब	13	8	4
21	राजस्थान	3	11	10
22	सिक्किम	0	0	0
23	तमिलनाडु	77	169	155
24	तेलंगाना	60	57	53
25	त्रिपुरा	4	1	2

26	उत्तर प्रदेश	12	6	17
27	उत्तराखंड	9	12	6
28	पश्चिम बंगाल	98	105	121
	कुल राज्य	**779**	**1045**	**999**
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
30	चंडीगढ़	1	0	0
31	दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव+	0	0	0
32	दिल्ली	4	2	1
33	जम्मू और कश्मीर*	1	2	2
34	लद्दाख	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0
36	पुदुच्चेरी	0	1	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**6**	**5**	**3**
	कुल (अखिल भारत)	**785**	**1050**	**1002**

स्रोत: भारत में अपराध

*****